

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

वार्ड का नाम: वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर- हल्द्वानी-काठगोदाम में राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)** के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण पर वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) में दिनांक को सम्पन्न बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी को आवेदित वन भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं? उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा नहीं है, और न ही कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर वार्डवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बैठक में उक्त चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा) तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) के निवासियों को राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना वार्ड की सीमा से लगी 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि में किये जाने हेतु इस भूमि का हस्तान्तरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) को किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

H0/-
मेयर

MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

H0/-
पार्षद

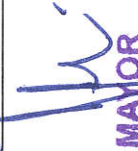
नरेन्द्र सिंह बागडवाल (गैरज)
पार्षद वार्ड नं० 53, मुखानी तृतीय
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:—जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए “राज्य कैंसर संस्थान” तथा “संक्रमण रोग चिकित्सालय” की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

दिनांक 09-09-2020 को वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति—

क्रमांक	बैठक में उपस्थित वार्ड वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह बगडवाल	Gopal Bagdwal
2	Harish Chandra Bhatt	H Bhatt
3	शरद चन्द तिवारी	शरद तिवारी
4	Ram Singh Gargiya	Rangiya
5	ललित मोहन पन्त	Lumpant
6	अगवरी देवी	अगवरी देवी
7	मुन्ना सिंह मेहरा	Munna Singh
8	संजय बुधोई	Sanjay
9	Anurag Pandey	Anurag
10	मतीन चन्द पाण्डेय	मतीन चन्द पाण्डेय
11	Manoj Duggopal	Manoj
12	हरिदत्त जोशी	हरिदत्त
13	कृष्णा सुवाल	कृष्णा सुवाल
14	Narayan Singh	Narayan Singh
15	Hem Chandra Pandey	Hepandey
16	मनिमथर	मनिमथर
17	Puran Chandra Jiwari	Puran



MAYOR
Municipal Corporation
Haldwani-Kathgodam

H0/- नरेन्द्र सिंह बगडवाल (नगर
पार्षद वार्ड नं० 53, मुखानी तहसील)
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील- हल्द्वानी की दिनांक **23.09.2020** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक राय, उप जिलाधिकारी, तहसील- हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

1. श्री विवेक राय, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी
2. श्री उमेश चन्द्र तिवारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, त0के0वन प्रभाग
3. श्री हरीश नाथ गोस्वामी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी
4. श्रीमती निर्मला जोशी, खंड विकास अधिकारी, हल्द्वानी

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य/सचिव
- सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद-नैनीताल स्थित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। वार्ड-53 मुख्यानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। **4.25 हेक्टेयर** आरक्षित वन भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सम्बन्धित वार्ड में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसके आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम- 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

23.09.2020

उप जिलाधिकारी

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- हल्द्वानी

जनपद- नैनीताल।
उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23.09.2020

उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
सदरपुर, उधमसिंह नगर

23/9/2020

उप विकास अधिकारी
उपखण्ड विकास
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी
जनपद- नैनीताल
उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

23/9/2020
उपखण्ड विकास अधिकारी
उपखण्ड विकास
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति, नैनीताल की दिनांक 23-10-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अध्यक्ष जनपद वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

1. श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी, नैनीताल

2. डॉ० अभिलाषा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, त0के0वन प्रभाग रुद्रपुर

3. श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल

4. श्रीमती लीला तेलिया, जिला पंचायत सदस्य, नैनीताल

- अध्यक्ष

- सदस्य

- सचिव/सदस्य

- सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए प्रस्तावित राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का उक्त

प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव सम्बन्धित वार्ड में सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसके आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम-2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वार्ड-53 मुखानी तृतीय (हरिपुर सूखा), तहसील- हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल (उत्तराखण्ड) द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन भूमि पर राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति

जनपद- नैनीताल।

अध्यक्ष

जिला पंचायत, नैनीताल C.S

जिला पर्यावरण संरक्षण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

जिलाधिकारी
नैनीताल.